

समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सभी स्वीकृत निर्माण कार्य : कलक्टर

राजसमन्द, । जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा गुरुवार को नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र में मैराथन दौरे पर रहे। उन्होंने नाथद्वारा जिला चिकित्सालय में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ डीएमएफटी के तहत स्वीकृत प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया। कलक्टर उपली ओडन में निर्माणधीन राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक एकीकृत महाविद्यालय पहुंचे और निर्माण कार्य को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बिल्डिंग प्लानिंग को मैप पर व्यवस्थित रूप से बताया। कलक्टर ने कहा कि कार्य जल्द पूर्ण हो जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। इसके बाद जिला कलक्टर खमनोर पहुंचे जहां उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही मोलेला मृग शिल्प की कलाकृतियां देखीं। महिलाओं से विभिन्न तैयार उत्पादों, मूर्तियों आदि को दिखा कर आय-व्यय, खर्च आदि के संबंध में बताया। यहां जिला कलक्टर ने महिलाओं के साथ बैठ कर

सशक्तिकरण और आर्थिक संबलन की दिशा में की जा रही गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी लेते हुए हर संभव प्रोत्साहन के लिए आश्वासन दिया। जिला कलक्टर बिल्ली की भागल में मेडीटुरिजम एंड वेलेनेस सेंटर के कार्य भी देखने पहुंचे और समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सेमा ग्राम पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण पर कार्यालय की व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने यहां वाचनालय एवं पुस्तकालय में आए विद्यार्थियों से चर्चा के साथ-साथ ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। एनएच 162 ई के कार्यों का किया निरीक्षण जिला कलक्टर असावा ने नेशनल हाइवे 162 ई के प्रगतिरत कार्य का औचक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद एनएच के अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए। कलक्टर ने यहां सड़क निर्माण को लेकर सभी तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करते हुए चर्चा की। उन्होंने

विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने और आमजन को परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। कलक्टर ने कहा कि निर्माण कार्य के बीच आमजन की आवाजाही प्रभावित न हो और ट्रैफिक सुचारु रूप से चले। एनएच के अधिकारियों ने बताया कि इस हाइवे का कार्य 27 सितंबर 2025 तक पूर्ण होना है। कलक्टर ने कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित राजसमन्द, 23 जनवरी। जिले की राडमावि बिजनोल में कोठारिया चौकी प्रभारी एसआई लक्ष्मणसिंह ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचाव के 11 महत्वपूर्ण उपाय बताए। उन्होंने लोगों को अनजान लिंक, ओटीपी और कॉल से सावधान रहने की सलाह दी। लक्ष्मणसिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए प्रलोभन देते हैं। इसलिए किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएँ और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। प्राचार्य मनोज मानव ने भी एक साइबर अपराध

की घटना साझा की और लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपप्राचार्य श्याम सुंदर झंवर, शिक्षक अर्जुनसिंह चौधरी, नारायण लाल गाडरी, गिरिराज जोशी, सुमन चारण, जितेंद्र व्यास, चेतना चौधरी, ओम प्रकाश मीणा, विनोद कुमार, प्रियंका अवस्थी, सायरा मिर्जा, लक्ष्मी सनाह्य, मंजु वर्मा एवं उषा सनाह्य सहित विद्यार्थी मौजूद थे। संचालन कैरियर प्रभारी भरत कुमार शर्मा ने किया। साइबर अपराध से बचने के उपाय : अनजान लिंक ओपन न करें, ओटीपी शेयर न करें, प्रलोभन में न आएँ, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करें, साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें, बैंक या पुलिस वाले मोबाइल पर जानकारी नहीं मांगते, ईस्टाग्राम पर अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट न भेजें या स्वीकार न करें, 91 के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय कॉल रिसीव न करें, अंतरराष्ट्रीय कॉल आने पर 1930 पर शिकायत दर्ज करें, पुलिस वाले बनकर जैसे मांगने वालों से सावधान रहें, लडकियां परेशानी होने पर माता-पिता को बताएं।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक (बिजली), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या : मं.रे.प्र. (बि.)-23-24-25 कार्य का नाम : All Div. Repair and maintenance of electrical assets of ZRTI campus including Holiday Home & Swaroop Sagar colony for two year at Udaipur. अनुमानित लागत : ₹. 49,83,489/- बयाना राशि : ₹. 99,700/- ई निविदाई बंद होने की तिथि : 13.02.25 उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट का पता : www.ireps.gov.in 96-DR/25

निकिता को अब मिलेगी नौ वर्षों से अटकी हुई पालनहार योजना की राशि

राजसमन्द, । जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों के पात्र और लंबित कार्य त्वरित गति से पूर्ण होने का सिलसिला जारी है। कलक्टर असावा के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक बच्चों का नौ वर्ष से अटका हुआ पालनहार योजना का लाभ स्वीकृत किया है।

लाभ स्वीकृत होने के बाद कलक्टर ने अपने चैंबर में बालिका और उसके दादाजी से मुलाकात की। कलक्टर ने बालिका निकिता से उसकी पढाई और करियर पर काफी देर चर्चा की और प्रशासन की ओर से पात्रता अनुसार हर सहयोग का भरोसा दिलाया। बालिका भी जिला कलक्टर से मिलकर गदगद देखीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कुंभलगढ तहसील के ग्राम गिटोरिया निवासी सीता खटीक पत्नी भैरूलाल खटीक की बालिका निकिता को पिछले 9 साल से पालनहार का लाभ नहीं मिल रहा था। सीता एवं बालिका द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ द्वारा पोर्टल पर बालिका का आवेदन जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बालिका

निकिता का वर्ष 2017 में पालनहार श्रेणी में नवीन संतान में आवेदन किया गया था परन्तु आवेदन में आपत्ति होने तथा निर्धारित समय पर आपत्ति दूर नहीं करने के कारण आवेदन स्वतः निरस्त हो गया था। इसके बाद संबंधित ई-मित्र बंद होने के कारण पुनः आवेदन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बालिका को पालनहार का आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिकायत मिलने पर जिला कलक्टर के निर्देशन में बालिका के विभिन्न विद्यालयों में विगत 9 वर्षों से नियमित अध्ययनरत होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया। इसके बाद बालिका का पुरानी ई-मित्र आईडी चेंज कर नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से आवेदन करवाकर बालिका को वर्ष 2017 से अभी तक वितीय स्वीकृति जारी कर की गई। अब बालिका को वर्ष 2017 से अभी तक की बकाया पालनहार की आर्थिक सहायता मिल पाउगी।

College of Veterinary and Animal Science, Navania
(under Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (RAJUVAS))
Navania, Vallabh Nagar-313601, Udaipur (Rajasthan)
No. :- F ()/CVAS/Purch./Tender/2024-25/155 Date :- 22/01/2025
Open Tender Notice OGT- 04 (2024-25)
Sealed Tenders are invited from eligible original manufacturers / distributors for open general tender in Two Bid system (separate Technical Bid and Price Bid) for the supply and services of "Books, Journals and Service Record Binding etc.". Tender application will be open for submission from 24.01.2025 to 01.02.2025 (12.00 PM) and after this bids will be opened by tender opening committee at CVAS on 01.02.2025 at 02.30 PM onwards.
Detailed Terms & Conditions for the tender are available on State Procurement Portal website <http://www.sppp.raj.nic.in> and University website www.rajuvas.org. The Dean, CVAS, holds right to reject one or more tender. The Bids / Tenders not fulfilling prescribed terms & conditions or submitted after due date shall be rejected.
For this E-tender UBN No. :- VAU2425SSR00123.
Raj Samwad/C/24/10700 DEAN



LIC's बीमा सखी

महिला कैरियर एजेन्ट

LIC
हर पल आपके साथ

एलआईसी के साथ अपना विकास सुनिश्चित करें

- तीन साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम.
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास से लेकर कोई भी उच्च शिक्षा.
- न्यूनतम पूर्ण आयु: आवेदन के समय 18 वर्ष.
- एजेंसी स्टाइपेंडरी अवधि में एवं उसके पश्चात नियमानुसार कमीशन के साथ जारी रहेगी.
- शर्तों के अधीन एलआईसी अपने एजेंट्स को कैरियर के अवसर भी प्रदान करती है.
- निर्दिष्ट मानदंडों की प्राप्ति पर आधारित स्टाइपेंडरी योजना

स्वावलंबी नारी, खुशहाली हमारी

आवेदन के लिए, नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in पर विज़िट करें

हमें फॉलो करें: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [o](#) LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

ग्राम फोन कॉल और झूठे/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई बीमा पॉलिसी बेचने या बीमस की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. जनता से निवेदन है कि ऐसे फोन कॉल करने पर वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. जोखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया किसी से पहले सेल्स प्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान

ईश्वर का है अनमोल उपहार
बेटी को मत समझो भार

राष्ट्रीय बालिका दिवस
24 जनवरी, 2025
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है

वैधानिक चेतावनी
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (PCPNDT) के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण/चयन करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इस कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मुखबिर योजना के तहत
3 लाख रुपये तक का इनाम
भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं. **104/108** या वाट्सएप नं. **9799997795** पर शिकायत दर्ज कराएं, मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर